# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 45 / 2025

लक्ष्मी

–अपीलार्थी

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव,चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

**आदेश की दिनांक** : 20.01.2025

**उपस्थित –**

अपीलार्थी की ओर से : श्री शैलेंद्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**
**असलम मेहर, सदस्य**

**आदेश**

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति शेरगढ़, जोधपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा जिला परिषद्, जोधपुर में स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि उक्त आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89(8)(ii) के उल्लंघन में जारी किया गया है, क्योंकि अनुलग्नक–1 से यह स्पष्ट है कि इस आदेश को जारी करते समय सम्बंधित पंचायत समिति के प्रधान की सहमति या परामर्श नहीं लिया गया है, जोकि अनिवार्य है। यह भी कथन है कि पंचायती राज के आदेश दिनांक 01.11.2010 की तरफ प्रसारित किया गया जिसके अनुसार जिले के अन्दर एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरण करने के लिये सम्बंधित प्रधान की सहमति लिया जाना आवश्यक है।
3. इस संबंध में प्रधान पंचायत समिति शेरगढ, जिला जोधपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.01.2025 द्वारा जिला प्रमुख जोधपुर को पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी को यथावत् पंचायत समिति शेरगढ में रखे जाने की अनुशंषा की।

4. साथ ही अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने आगे कथन किया है कि उक्त अपीलार्थी एकल महिला एवं परित्यक्ता होने के कारण अपने पैतृक आवास पर निवासरत है तथा इनके बुजुर्ग पिता की देखभाल भी इनके द्वारा की जाती है।
5. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) अनुचित एवं विधि के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।
6. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।
7. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति शेरगढ़, जोधपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा जिला परिषद्, जोधपुर में स्थानान्तरण किया गया। जिला परिषद् जोधपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 15.01.2025 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ''जिला परिषद जोधपुर की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति की आयोजित बैठक दिनांक 15.01.2025 प्रस्ताव संख्या 2 में समिति सदस्यों द्वारा राज्य के स्थानान्तरण आदेशों के अनुमोदन के क्रम में असहमति दी गई एवं राज्य सरकार के इन आदेशों की पालना में संबंधित जिला परिषद् अथवा पंचायत समिति के असहमति उपरान्त भी राज्य सरकार का आदेश प्रभावी रहेगा। ऐसा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश सिविल रिट पिटिशन संख्या 2909/2024 केराराम बनाम राज्य सरकार में अभिनिर्धारित किया गया है। जो प्रशासनिक दृष्टि से राज्यहित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया।
8. यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को सेवाएं प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

*"In our opinion, the courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer order issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

9. लिहाजा प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

**(असलम मेहर )**
**सदस्य**

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**